



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2016/फाल्गुन 5, 1937

No. 490]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2016/PHALGUNA 5, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016

का.आ. 569(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

उड़ीसा राज्य के बालासोर, मयूरभंज और क्यौंझार जिलों में अवस्थित कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य 272.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, इस अभयारण्य में समृद्ध वनस्पति और जीवजन्तु का प्रतिनिधित्व है;

और, इस अभयारण्य में जैव विविधता का संबंध है, इसमें 32 स्तनधारी की प्रजातियाँ, 134 पक्षियों की प्रजातियाँ, 40 सरीसृपों की प्रजातियाँ, 5 उभयचरों की प्रजातियाँ, कई कीड़े-मकोड़े की प्रजातियाँ जैसे तितलियाँ और ओडोनेट्स के साथ और इस संरक्षित क्षेत्र के वनस्पति का मिश्रित पर्णपाती वन द्वारा वर्णन किया जाता है ;

और, एशियाई हाथी (एलाफेस मैक्सीमस), गौर (बोस गौरस), रीछ (मेलुरनस उर्सीनस), बनैला सूअर(सुस स्क्रोफा), चीतल (एक्सीस-एक्सीस), साम्भर (रुसा यूनिकलर), हनुमान लंगूर (सेमनोपिथियस एनटेलस), लघु पूंछ वानर (मेकेका मुलाटा), भारतीय साही (हाईस्ट्रीक इंडिका), भारतीय बृहत गिलहरी (रटुफा इंडिका), भारतीय साल (मैनिस क्रासिकाउडाटा) आदि द्वारा स्तनधारियों का वर्णन है। तेंदुआ (पेंथेरा पारडस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), भारतीय भेड़िया (कैनिस लुपस), सियार (कैनिस औरियस), बंगाल लोमड़ी (बुलपेस बंगाललेंसिस), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बंगाललेंसिस) आदि के द्वारा मांसाहारी पशुओं का वर्णन है ;

और, अभयारण्य में जिला बालासोरे और पश्चिम में मयूरभंज जिला के वन और ग्रामों के आस-पास, पूर्व में टैंडा आरक्षित वन और बिष्णुपुर संरक्षित वन के निकटवर्ती ग्राम सीमा रेखा, दक्षिण में देवागिरि संरक्षित वन और देवागिरि आरक्षित वन के निकटवर्ती नीलगिरि पूर्व-राज्य सीमा रेखा, उत्तर में कपटिपाड़ा-उडाला-जाराणागहटी-सजनागढ़-नीलगिरि राज्य राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं ;

और, कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओडिशा राज्य में कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य उद्यान की सीमा से 7.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य उद्यान की सीमा के चारों ओर 234.48 वर्ग किलोमीटर में 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध I** में दी गई है ।

(3) मुख्य बिन्दुओं के समन्वयकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में दिया गया है ।

(4) सीमा के ब्यौरे के साथ और अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) ओडीशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 21, 31, 35 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों के चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचयन, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, ओडीशा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी वास-सुविधा के सिवाय कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसोर्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ;

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को केवल पूर्व परिभाषित, पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(III) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्साव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्साव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां.**—(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाय नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)

क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	<p>(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।</p> <p>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।</p>
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्लास्टिक बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		

(10)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	<p>पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी वास-सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।</p> <p>तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा ।</p>
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ।</p> <p>ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।</p> <p>एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।</p>
(12)	खाई बनाना ।	लागू विधियों के अनुसार नई खाईयों की स्थापना प्रतिषिद्ध होगी। पुरानी खाईयों को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्साव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(14)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या

		<p>वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।</p> <p>(ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया जाएगा ।</p>
(18)	भ्रमणशील चरागाह ।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(19)	विद्यमान स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	विद्युत लाइनों का रोधन ।	भूमिगत केबल डालने को बढ़ावा दिया जाएगा । पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से रोधित किया जाएगा ।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(22)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के अबाध चलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड़ एक मीटर से अधिक की नहीं होगी तथा इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
(23)	लोक अधिकार ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	लघु चारे का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(30)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संनिर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
(31)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं अनुज्ञात किए जाएंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
(32)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(33)	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) जिला कलेक्टर, बालासोर -अध्यक्ष ;
- (ii) ओडिशा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य ;
- (iii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (iv) प्रादेशिक अधिकारी, ओडीशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. -सदस्य;

- | | |
|--|---------------|
| (v) प्रभागीय वन अधिकारी-वन्यजीव- वार्डन, बारीपाडा | -सदस्य; |
| (vi) उप कलेक्टर, कपटीपाडा (उडाला) | -सदस्य; |
| (vii) पुलिस अधीक्षक, बालासोर | -सदस्य |
| (viii) पुलिस अधीक्षक, उडाला | -सदस्य ; और |
| (ix) प्रभागीय वन अधिकारी-सह-वन्यजीव वार्डन बालासोर | -सदस्य-सचिव । |

6. निर्देश निबंधन.-(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक कि अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/189/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I**पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची****पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत ग्राम**

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	मयूरभंज	कपटीपाड़ा	अंधरपाड़ा	राजस्व ग्राम	21° 22' 29.864" उ	86° 26' 37.724" पू
2	बालासोरे	औपाडा	अघाशुल	राजस्व ग्राम	21° 20' 7.003" उ	86° 33' 58.018" पू
3	बालासोरे	औपाडा	अघिरपाडा	राजस्व ग्राम	21° 20' 32.153" उ	86° 32' 6.172" पू
4	बालासोरे	खैरा	ऐथासाही	राजस्व ग्राम	21° 19' 46.742" उ	86° 31' 24.301" पू
5	मयूरभंज	कपटीपाडा	अम्बादाही	राजस्व ग्राम	21° 20' 17.524" उ	86° 24' 45.202" पू
6	बालासोरे	खैरा	अम्बागडिया	राजस्व ग्राम	21° 19' 53.366" उ	86° 34' 4.642" पू
7	बालासोरे	नीलगिरि	अम्बाझर	राजस्व ग्राम	21° 28' 33.961" उ	86° 41' 46.154" पू
8	मयूरभंज	कपटीपाडा	अनधारी	राजस्व ग्राम	21° 24' 17.812" उ	86° 30' 37.472" पू
9	बालासोरे	खैरा	असुरखुनता	राजस्व ग्राम	21° 19' 47.391" उ	86° 25' 43.909" पू
10	बालासोरे	औपाडा	अतासाही	राजस्व ग्राम	21° 21' 13.507" उ	86° 29' 35.237" पू
11	बालासोरे	नीलगिरि	बबानधा	राजस्व ग्राम	21° 27' 18.119" उ	86° 43' 52.072" पू
12	बालासोरे	औपाडा	बड़ापोखरी	राजस्व ग्राम	21° 20' 8.752" उ	86° 34' 49.539" पू
13	बालासोरे	औपाडा	बधी	राजस्व ग्राम	21° 20' 10.900" उ	86° 35' 30.560" पू
14	बालासोरे	औपाडा	बाघमपाडा	राजस्व ग्राम	21° 21' 39.832" उ	86° 37' 18.879" पू
15	बालासोरे	औपाडा	बहासाही	राजस्व ग्राम	21° 28' 29.295" उ	86° 44' 46.363" पू
16	बालासोरे	नीलगिरि	बलिगुरा	राजस्व ग्राम	21° 26' 9.183" उ	86° 45' 40.167" पू
17	बालासोरे	औपाडा	बलीमुनदाली	राजस्व ग्राम	21° 21' 3.478" उ	86° 35' 6.416" पू
18	बालासोरे	नीलगिरि	बन्कीसाल	राजस्व ग्राम	21° 27' 58.642" उ	86° 43' 33.628" पू
19	बालासोरे	औपाडा	बनसापल	राजस्व ग्राम	21° 21' 43.831" उ	86° 37' 47.132" पू
20	बालासोरे	नीलगिरि	बन्धियापाडा	राजस्व ग्राम	21° 28' 31.459" उ	86° 42' 53.408" पू
21	बालासोरे	नीलगिरि	बनुसावानिया	राजस्व ग्राम	21° 25' 37.621" उ	86° 45' 26.529" पू
22	बालासोरे	औपाडा	बारभागी	राजस्व ग्राम	21° 19' 49.209" उ	86° 26' 51.189" पू
23	मयूरभंज	कपटीपाडा	बसनगा	राजस्व ग्राम	21° 23' 19.047" उ	86° 28' 44.490" पू
24	बालासोरे	नीलगिरि	बतसाही	राजस्व ग्राम	21° 29' 31.115" उ	86° 34' 54.956" पू
25	बालासोरे	नीलगिरि	बौलागदिया	राजस्व ग्राम	21° 21' 20.065" उ	86° 42' 13.091" पू

26	बालासोरे	नीलगिरि	बेलपाडा	राजस्व ग्राम	21° 22' 24.695" उ	86° 42' 37.977" पू
27	बालासोरे	खैरा	बेनगरिया	राजस्व ग्राम	21° 19' 29.467" उ	86° 27' 22.101" पू
28	बालासोरे	नीलगिरि	बेतासुल	राजस्व ग्राम	21° 27' 8.843" उ	86° 44' 34.236" पू
29	बालासोरे	नीलगिरि	भालुकासुनी	राजस्व ग्राम	21° 29' 23.413" उ	86° 42' 22.929" पू
30	बालासोरे	औपाडा	भारादाभटी	राजस्व ग्राम	21° 21' 29.386" उ	86° 29' 2.016" पू
31	बालासोरे	नीलगिरि	भुतासाहिमिल	राजस्व ग्राम	21° 27' 50.936" उ	86° 43' 10.379" पू
32	बालासोरे	खैरा	बिरिहा	राजस्व ग्राम	21° 20' 22.200" उ	86° 29' 46.109" पू
33	मयूरभंज	कपटीपाडा	ब्रह्मानिपल	राजस्व ग्राम	21° 23' 22.340" उ	86° 29' 45.605" पू
34	बालासोरे	औपाडा	बुदाखुन्ता	राजस्व ग्राम	21° 20' 34.140" उ	86° 35' 45.171" पू
35	बालासोरे	खैरा	छाहापुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 55.704" उ	86° 31' 38.134" पू
36	बालासोरे	खैरा	छाहापुर ससान	राजस्व ग्राम	21° 20' 5.834" उ	86° 30' 41.634" पू
37	बालासोरे	नीलगिरि	छकमारा	राजस्व ग्राम	21° 28' 46.353" उ	86° 40' 13.392" पू
38	बालासोरे	नीलगिरि	चन्द्रपुर	राजस्व ग्राम	21° 29' 34.150" उ	86° 40' 52.183" पू
39	बालासोरे	औपाडा	चतरीशुल	राजस्व ग्राम	21° 21' 36.907" उ	86° 35' 2.655" पू
40	बालासोरे	नीलगिरि	चिन्तामनीपुर	राजस्व ग्राम	21° 21' 42.468" उ	86° 42' 50.085" पू
41	बालासोरे	औपाडा	चिरानदैपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 55.444" उ	86° 29' 2.371" पू
42	बालासोरे	नीलगिरि	छोटा कन्हुपुर	राजस्व ग्राम	21° 26' 33.195" उ	86° 45' 23.290" पू
43	बालासोरे	औपाडा	दागरपारा	राजस्व ग्राम	21° 19' 48.885" उ	86° 33' 24.508" पू
44	बालासोरे	नीलगिरि	दलदाली	राजस्व ग्राम	21° 23' 23.382" उ	86° 42' 26.091" पू
45	बालासोरे	औपाडा	दरिपोखरी	राजस्व ग्राम	21° 20' 42.462" उ	86° 35' 15.753" पू
46	बालासोरे	नीलगिरि	दरखोली	राजस्व ग्राम	21° 29' 50.545" उ	86° 36' 16.648" पू
47	बालासोरे	औपाडा	दरखुली	राजस्व ग्राम	21° 20' 51.294" उ	86° 29' 40.557" पू
48	बालासोरे	नीलगिरि	दसरथपुर सासन	राजस्व ग्राम	21° 24' 36.836" उ	86° 44' 13.665" पू
49	बालासोरे	नीलगिरि	धोलपुर	राजस्व ग्राम	21° 26' 2.728" उ	86° 45' 6.180" पू
50	बालासोरे	सोरो	दिगिभानरा	राजस्व ग्राम	21° 21' 4.606" उ	86° 37' 38.645" पू
51	बालासोरे	नीलगिरि	दवारिका	राजस्व ग्राम	21° 23' 17.542" उ	86° 44' 5.677" पू
52	बालासोरे	नीलगिरि	दवारिकासुनी	राजस्व ग्राम	21° 28' 46.503" उ	86° 38' 48.060" पू
53	बालासोरे	औपाडा	गदासाही	राजस्व ग्राम	21° 22' 0.034" उ	86° 29' 28.550" पू
54	बालासोरे	औपाडा	गजमाबा	राजस्व ग्राम	21° 21' 1.360" उ	86° 34' 33.866" पू
55	बालासोरे	औपाडा	गरुदाहाता	राजस्व ग्राम	21° 20' 15.965" उ	86° 33' 30.353" पू
56	बालासोरे	सोरो	गोबिन्दपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 44.799" उ	86° 40' 53.190" पू
57	बालासोरे	नीलगिरि	गोहलिया	राजस्व ग्राम	21° 25' 15.996" उ	86° 45' 13.087" पू
58	बालासोरे	नीलगिरि	गोहिरा	राजस्व ग्राम	21° 29' 39.890" उ	86° 38' 20.963" पू
59	बालासोरे	सोरो	गोपालपुर	राजस्व ग्राम	21° 21' 50.650" उ	86° 39' 45.196" पू
60	बालासोरे	सोरो	गुजदिहा	राजस्व ग्राम	21° 22' 45.054" उ	86° 39' 52.207" पू
61	बालासोरे	सोरो	गुलुनिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 22.200" उ	86° 35' 50.042" पू

62	मयूरभंज	कपटीपाडा	हलादिपोखरी	राजस्व ग्राम	21° 24' 36.772" उ	86° 30' 51.889" पू
63	बालासोरे	औपाडा	हलापुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 31.094" उ	86° 27' 25.280" पू
64	बालासोरे	औपाडा	हरीहरपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 54.664" उ	86° 28' 4.443" पू
65	बालासोरे	नीलगिरि	हरीकृष्णापुर	राजस्व ग्राम	21° 21' 14.608" उ	86° 42' 59.242" पू
66	बालासोरे	नीलगिरि	हटसाही	राजस्व ग्राम	21° 25' 5.086" उ	86° 45' 34.322" पू
67	मयूरभंज	कपटीपाडा	हटीमान्दा	राजस्व ग्राम	21° 24' 32.820" उ	86° 30' 3.113" पू
68	मयूरभंज	कपटीपाडा	हिन्जुलीदुबा	राजस्व ग्राम	21° 26' 49.285" उ	86° 31' 45.981" पू
69	बालासोरे	नीलगिरि	हसियासाही	राजस्व ग्राम	21° 24' 2.936" उ	86° 44' 38.797" पू
70	बालासोरे	नीलगिरि	ईश्वरपुर	राजस्व ग्राम	21° 21' 6.815" उ	86° 42' 57.293" पू
71	बालासोरे	औपाडा	जदगारिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 10.250" उ	86° 29' 4.709" पू
72	बालासोरे	नीलगिरि	जगनाथपुर	राजस्व ग्राम	21° 27' 23.054" उ	86° 44' 40.648" पू
73	बालासोरे	औपाडा	जलपानक	राजस्व ग्राम	21° 20' 6.614" उ	86° 29' 44.453" पू
74	बालासोरे	नीलगिरि	जमघाटी	राजस्व ग्राम	21° 28' 7.907" उ	86° 43' 11.072" पू
75	बालासोरे	नीलगिरि	जमपाडा	राजस्व ग्राम	21° 21' 18.115" उ	86° 41' 11.309" पू
76	बालासोरे	नीलगिरि	जमुदीही	राजस्व ग्राम	21° 28' 29.035" उ	86° 44' 3.502" पू
77	बालासोरे	नीलगिरि	जमुना	राजस्व ग्राम	21° 29' 4.998" उ	86° 35' 17.311" पू
78	बालासोरे	औपाडा	जनहिदपाडा	राजस्व ग्राम	21° 20' 1.159" उ	86° 28' 38.992" पू
79	बालासोरे	औपाडा	जनिकापाल	राजस्व ग्राम	21° 20' 21.998" उ	86° 31' 26.876" पू
80	बालासोरे	औपाडा	जटपाडा	राजस्व ग्राम	21° 21' 37.325" उ	86° 36' 58.195" पू
81	बालासोरे	औपाडा	जयनारायनपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 58.821" उ	86° 35' 20.624" पू
82	बालासोरे	नीलगिरि	झरानघाटी	राजस्व ग्राम	21° 29' 30.697" उ	86° 34' 15.676" पू
83	मयूरभंज	कपटीपाडा	झिलिरीबानी	राजस्व ग्राम	21° 27' 54.076" उ	86° 33' 8.365" पू
84	बालासोरे	नीलगिरि	जोकगदिया	राजस्व ग्राम	21° 22' 55.332" उ	86° 43' 20.088" पू
85	बालासोरे	औपाडा	जोकगरिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 17.719" उ	86° 34' 28.411" पू
86	बालासोरे	नीलगिरि	जोकनन्दा	राजस्व ग्राम	21° 27' 34.224" उ	86° 44' 49.740" पू
87	बालासोरे	नीलगिरि	जुनिया	राजस्व ग्राम	21° 25' 33.013" उ	86° 44' 39.436" पू
88	बालासोरे	नीलगिरि	जरियापटना	राजस्व ग्राम	21° 23' 56.702" उ	86° 44' 8.405" पू
89	बालासोरे	औपाडा	काशीगरिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 51.423" उ	86° 30' 9.293" पू
90	बालासोरे	नीलगिरि	कदमसुल	राजस्व ग्राम	21° 27' 27.470" उ	86° 43' 9.730" पू
91	मयूरभंज	कपटीपाडा	कैझाटी	राजस्व ग्राम	21° 28' 57.782" उ	86° 42' 40.593" पू
92	बालासोरे	औपाडा	कैथागरिया	राजस्व ग्राम	21° 18' 54.139" उ	86° 25' 33.259" पू
93	मयूरभंज	कपटीपाडा	कालादही	राजस्व ग्राम	21° 29' 46.224" उ	86° 33' 16.975" पू
94	बालासोरे	नीलगिरि	कलाकद	राजस्व ग्राम	21° 29' 33.803" उ	86° 40' 21.358" पू
95	मयूरभंज	कपटीपाडा	कलिया बुरु	राजस्व ग्राम	21° 20' 52.592" उ	86° 25' 54.040" पू
96	मयूरभंज	कपटीपाडा	कलियाचतुरी	राजस्व ग्राम	21° 26' 12.672" उ	86° 31' 30.750" पू
97	बालासोरे	नीलगिरि	कलिगरी	राजस्व ग्राम	21° 22' 39.941" उ	86° 43' 28.076" पू

98	बालासोरे	औपाडा	कमरपाल	राजस्व ग्राम	21° 20' 19.570" उ	86° 33' 6.662" पू
99	बालासोरे	नीलगिरि	कमेदीहा	राजस्व ग्राम	21° 24' 6.097" उ	86° 43' 25.892" पू
100	बालासोरे	नीलगिरि	कनदागरादी	राजस्व ग्राम	21° 23' 10.010" उ	86° 42' 14.576" पू
101	बालासोरे	औपाडा	कान्दीपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 35.643" उ	86° 34' 48.672" पू
102	बालासोरे	नीलगिरि	कन्हुपुर	राजस्व ग्राम	21° 22' 9.938" उ	86° 43' 6.840" पू
103	बालासोरे	नीलगिरि	कनशीपाल	राजस्व ग्राम	21° 22' 47.724" उ	86° 42' 32.034" पू
104	बालासोरे	नीलगिरि	कनताबनिया	राजस्व ग्राम	21° 23' 33.908" उ	86° 44' 3.729" पू
105	मयूरभंज	कपटीपाडा	कनतामरी	राजस्व ग्राम	21° 20' 36.747" उ	86° 25' 54.560" पू
106	मयूरभंज	कपटीपाडा	कनतामती	राजस्व ग्राम	21° 20' 27.395" उ	86° 25' 15.075" पू
107	बालासोरे	नीलगिरि	कनथियातीकर	राजस्व ग्राम	21° 24' 14.431" उ	86° 44' 40.551" पू
108	बालासोरे	खैरा	कसपा	राजस्व ग्राम	21° 19' 28.428" उ	86° 26' 58.202" पू
109	मयूरभंज	कपटीपाडा	केन्दुघाटी	राजस्व ग्राम	21° 27' 39.726" उ	86° 32' 14.278" पू
110	बालासोरे	नीलगिरि	केशुगदिया	राजस्व ग्राम	21° 21' 8.958" उ	86° 41' 48.520" पू
111	बालासोरे	नीलगिरि	केशुरीपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 29.798" उ	86° 41' 36.051" पू
112	बालासोरे	औपाडा	केटाकिझुरी	राजस्व ग्राम	21° 19' 45.573" उ	86° 27' 32.751" पू
113	मयूरभंज	कपटीपाडा	खादीखनिया	राजस्व ग्राम	21° 27' 8.157" उ	86° 32' 30.173" पू
114	बालासोरे	खैरा	खादीपाड	राजस्व ग्राम	21° 18' 55.178" उ	86° 26' 32.226" पू
115	बालासोरे	सोरो	खोगबानी	राजस्व ग्राम	21° 21' 50.066" उ	86° 40' 13.251" पू
116	बालासोरे	औपाडा	खुनता	राजस्व ग्राम	21° 20' 25.310" उ	86° 36' 41.025" पू
117	बालासोरे	औपाडा	खुनतादीहापटना	राजस्व ग्राम	21° 20' 21.680" उ	86° 28' 49.902" पू
118	बालासोरे	सोरो	खुनतापटना	राजस्व ग्राम	21° 20' 45.579" उ	86° 36' 52.971" पू
119	बालासोरे	औपाडा	क्रुशनादासपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 34.928" उ	86° 29' 29.127" पू
120	मयूरभंज	कपटीपाडा	कौनरपुर	राजस्व ग्राम	21° 29' 13.772" उ	86° 32' 37.679" पू
121	बालासोरे	नीलगिरि	कुमबाकुनतिया	राजस्व ग्राम	21° 24' 23.978" उ	86° 45' 9.580" पू
122	बालासोरे	सोरो	कुमबी	राजस्व ग्राम	21° 21' 46.949" उ	86° 39' 9.543" पू
123	बालासोरे	नीलगिरि	कुनचीबनिया	राजस्व ग्राम	21° 29' 50.775" उ	86° 40' 24.129" पू
124	बालासोरे	औपाडा	कुशादीहा	राजस्व ग्राम	21° 21' 23.536" उ	86° 30' 13.889" पू
125	बालासोरे	नीलगिरि	कुसुमिया	राजस्व ग्राम	21° 28' 19.683" उ	86° 43' 20.077" पू
126	बालासोरे	औपाडा	कुसुमदासपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 14.017" उ	86° 30' 31.114" पू
127	बालासोरे	नीलगिरि	मधुबन	राजस्व ग्राम	21° 26' 54.529" उ	86° 45' 33.227" पू
128	बालासोरे	नीलगिरि	महुलबनी	राजस्व ग्राम	21° 29' 18.997" उ	86° 37' 1.151" पू
129	बालासोरे	खैरा	महुलगरिया	राजस्व ग्राम	21° 19' 53.755" उ	86° 32' 1.902" पू
130	बालासोरे	औपाडा	मैसदली	राजस्व ग्राम	21° 20' 20.229" उ	86° 26' 34.928" पू
131	बालासोरे	औपाडा	मझीसाही	राजस्व ग्राम	21° 21' 5.985" उ	86° 30' 8.039" पू
132	बालासोरे	नीलगिरि	मनगढ़	राजस्व ग्राम	21° 24' 58.469" उ	86° 44' 38.694" पू
133	मयूरभंज	कपटीपाडा	मनकदपाडा	राजस्व ग्राम	21° 25' 38.747" उ	86° 30' 23.233" पू

134	बालासोरे	औपाडा	मनताचुआ	राजस्व ग्राम	21° 21' 1.180" उ	86° 31' 8.003" पू
135	बालासोरे	औपाडा	मरापटना	राजस्व ग्राम	21° 19' 56.093" उ	86° 34' 23.345" पू
136	मयूरभंज	कपटीपाडा	मयुरहुदा	राजस्व ग्राम	21° 24' 58.710" उ	86° 31' 10.379" पू
137	बालासोरे	नीलगिरि	मीरिगिनी	राजस्व ग्राम	21° 26' 46.186" उ	86° 45' 13.237" पू
138	बालासोरे	नीलगिरि	मोशसुरिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 50.839" उ	86° 42' 13.263" पू
139	बालासोरे	नीलगिरि	मुकुन्दापुर	राजस्व ग्राम	21° 21' 42.351" उ	86° 42' 8.262" पू
140	मयूरभंज	कपटीपाडा	नटपारा	राजस्व ग्राम	21° 25' 34.594" उ	86° 31' 23.072" पू
141	बालासोरे	नीलगिरि	नीजगढ	राजस्व ग्राम	21° 27' 17.660" उ	86° 44' 14.965" पू
142	बालासोरे	खैरा	नौगांव	राजस्व ग्राम	21° 20' 4.860" उ	86° 34' 14.968" पू
143	बालासोरे	नीलगिरि	नौगांव	राजस्व ग्राम	21° 30' 36.494" उ	86° 35' 40.810" पू
144	बालासोरे	सोरो	नौसाही	राजस्व ग्राम	21° 22' 6.821" उ	86° 38' 27.266" पू
145	बालासोरे	नीलगिरि	नौशी	राजस्व ग्राम	21° 28' 51.894" उ	86° 43' 10.033" पू
146	मयूरभंज	कपटीपाडा	पदमापोखरी	राजस्व ग्राम	21° 23' 42.084" उ	86° 29' 8.937" पू
147	बालासोरे	औपाडा	पैकापाडा	राजस्व ग्राम	21° 19' 45.337" उ	86° 26' 6.931" पू
148	बालासोरे	नीलगिरि	पनचालीनगेसवर	राजस्व ग्राम	21° 24' 34.896" उ	86° 43' 20.787" पू
149	बालासोरे	औपाडा	पनदुआ	राजस्व ग्राम	21° 20' 35.685" उ	86° 31' 27.097" पू
150	बालासोरे	नीलगिरि	परसुल	राजस्व ग्राम	21° 27' 54.746" उ	86° 45' 8.703" पू
151	बालासोरे	नीलगिरि	पटनापाडा	राजस्व ग्राम	21° 23' 6.048" उ	86° 43' 11.516" पू
152	बालासोरे	नीलगिरि	पटसाही	राजस्व ग्राम	21° 29' 29.443" उ	86° 35' 49.278" पू
153	बालासोरे	औपाडा	पथरपाडा	राजस्व ग्राम	21° 21' 22.401" उ	86° 30' 35.400" पू
154	बालासोरे	खैरा	पटना	राजस्व ग्राम	21° 19' 24.012" उ	86° 25' 23.647" पू
155	बालासोरे	सोरो	फताम्बा	राजस्व ग्राम	21° 22' 12.217" उ	86° 37' 52.726" पू
156	बालासोरे	औपाडा	पोटरोखुन्ता	राजस्व ग्राम	21° 18' 44.008" उ	86° 25' 17.933" पू
157	बालासोरे	खैरा	प्रेमानंदपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 33.104" उ	86° 28' 7.041" पू
158	बालासोरे	औपाडा	प्रतापपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 34.474" उ	86° 30' 46.310" पू
159	बालासोरे	नीलगिरि	पुनिदुरिया	राजस्व ग्राम	21° 28' 25.225" उ	86° 39' 57.806" पू
160	बालासोरे	औपाडा	पुरुसोत्तमपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 47.716" उ	86° 32' 51.777" पू
161	बालासोरे	औपाडा	राधाबल्लभपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 55.119" उ	86° 36' 15.564" पू
162	बालासोरे	नीलगिरि	रायपाल	राजस्व ग्राम	21° 30' 21.254" उ	86° 38' 26.714" पू
163	बालासोरे	नीलगिरि	रायपुर	राजस्व ग्राम	21° 26' 22.821" उ	86° 45' 38.633" पू
164	बालासोरे	खैरा	रैरामचन्द्रपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 43.494" उ	86° 28' 27.043" पू
165	बालासोरे	औपाडा	रनगमटिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 52.614" उ	86° 28' 54.704" पू
166	बालासोरे	सोरो	रनगमटिया	राजस्व ग्राम	21° 22' 34.352" उ	86° 40' 14.231" पू
167	बालासोरे	खैरा	रानीगरिया	राजस्व ग्राम	21° 20' 3.497" उ	86° 32' 43.595" पू
168	बालासोरे	सोरो	रनपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 3.886" उ	86° 35' 47.315" पू
169	बालासोरे	खैरा	रोदनपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 34.078" उ	86° 34' 13.604" पू

170	बालासोरे	नीलगिरि	सबजापुर	राजस्व ग्राम	21° 23' 3.904" उ	86° 42' 55.735" पू
171	बालासोरे	नीलगिरि	सना पाटपुर	राजस्व ग्राम	21° 25' 20.477" उ	86° 45' 32.374" पू
172	बालासोरे	नीलगिरि	सनतागदिया	राजस्व ग्राम	21° 22' 44.812" उ	86° 43' 23.010" पू
173	बालासोरे	सोरो	सारालिया	राजस्व ग्राम	21° 22' 28.276" उ	86° 39' 0.328" पू
174	बालासोरे	नीलगिरि	सरुचम्पा	राजस्व ग्राम	21° 29' 38.427" उ	86° 37' 22.880" पू
175	बालासोरे	खैरा	सासोन	राजस्व ग्राम	21° 19' 31.545" उ	86° 25' 55.858" पू
176	बालासोरे	नीलगिरि	शियालोमालसाही	राजस्व ग्राम	21° 29' 2.631" उ	86° 40' 25.168" पू
177	बालासोरे	नीलगिरि	श्यामसुन्दरपुर	राजस्व ग्राम	21° 23' 28.258" उ	86° 44' 13.665" पू
178	बालासोरे	नीलगिरि	सियादीमाल	राजस्व ग्राम	21° 27' 47.472" उ	86° 44' 9.216" पू
179	बालासोरे	नीलगिरि	सियादीमाला	राजस्व ग्राम	21° 27' 2.587" उ	86° 43' 8.859" पू
180	बालासोरे	नीलगिरि	सिकिदीया	राजस्व ग्राम	21° 21' 58.323" उ	86° 42' 22.377" पू
181	बालासोरे	सोरो	सिमुलीखोला	राजस्व ग्राम	21° 23' 40.178" उ	86° 39' 19.224" पू
182	बालासोरे	औपाडा	सिमुलीपाल्ल	राजस्व ग्राम	21° 20' 51.423" उ	86° 34' 58.024" पू
183	बालासोरे	सोरो	सिनधुआ	राजस्व ग्राम	21° 23' 12.429" उ	86° 39' 27.702" पू
184	बालासोरे	सोरो	सिनगाखनता	राजस्व ग्राम	21° 22' 35.265" उ	86° 39' 17.921" पू
185	बालासोरे	औपाडा	सिनगारपुर	राजस्व ग्राम	21° 20' 13.627" उ	86° 32' 1.707" पू
186	बालासोरे	नीलगिरि	सिरसा	राजस्व ग्राम	21° 29' 25.265" उ	86° 35' 20.028" पू
187	बालासोरे	औपाडा	सोरीसापाल	राजस्व ग्राम	21° 20' 14.492" उ	86° 28' 25.849" पू
188	बालासोरे	खैरा	सुजगरला	राजस्व ग्राम	21° 18' 58.035" उ	86° 25' 55.079" पू
189	बालासोरे	नीलगिरि	तालागरिया	राजस्व ग्राम	21° 29' 43.024" उ	86° 36' 25.841" पू
190	मयूरभंज	कपटीपाडा	तनगिरिया	राजस्व ग्राम	21° 28' 46.839" उ	86° 32' 59.314" पू
191	बालासोरे	नीलगिरि	तरतारी	राजस्व ग्राम	21° 29' 54.097" उ	86° 36' 51.122" पू
192	बालासोरे	नीलगिरि	तेलीपाल	राजस्व ग्राम	21° 29' 32.368" उ	86° 39' 14.450" पू
193	बालासोरे	नीलगिरि	तेन्दा	राजस्व ग्राम	21° 27' 25.004" उ	86° 42' 28.995" पू
194	बालासोरे	नीलगिरि	तियाकाटा	राजस्व ग्राम	21° 28' 17.779" उ	86° 40' 32.591" पू
195	मयूरभंज	कपटीपाडा	तुलागरिया	राजस्व ग्राम	21° 21' 13.374" उ	86° 25' 16.634" पू
196	बालासोरे	खैरा	उगालपुर	राजस्व ग्राम	21° 19' 15.440" उ	86° 26' 52.228" पू
197	बालासोरे	सोरो	उपारगर	राजस्व ग्राम	21° 22' 5.322" उ	86° 37' 32.877" पू
198	बालासोरे	खैरा	सरीसुआ कपीलाझरी बधानता	राजस्व ग्राम	21° 19' 15.816" उ	86° 22' 12.756" पू
199	बालासोरे	खैरा	गगुआ	राजस्व ग्राम	21° 18' 26.388" उ	86° 23' 32.5352" पू
200	बालासोरे	खैरा	कदालिगडिया	राजस्व ग्राम	21° 19' 1.236" उ	86° 24' 9.72" पू
201	बालासोरे	खैरा	कुटुरीपाल	राजस्व ग्राम	21° 18' 7.128" उ	86° 22' 58.908" पू
202	बालासोरे	खैरा	बुदाइसुल	राजस्व ग्राम	21° 18' 16.236" उ	86° 23' 17.448" पू
203	मयूरभंज	कपटीपाडा	कथाचुआ	राजस्व ग्राम	21° 19' 37.236" उ	86° 25' 1.524" पू


204	मयूरभंज	कपटीपाडा	दुग्धा	राजस्व ग्राम	21° 19' 7.392" उ	86° 21' 22.032" पू
205	बालासोरे	खैरा	रुग्दी	राजस्व ग्राम	21° 18' 57.132" उ	86° 21' 12.132" पू

उपाबंध- II**पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ चारों दिशाओं के भू-निर्देशांक**

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा रेखा केवोनझार-बालासोरे अंतर-जिला सीमा रेखा जी.पी.एस. पाठ्यांक उ 21° 17' 59.6" पू 86° 21' 38.4" के साथ बिन्दु से आरंभ होकर और केवोनझार जिला की सीमा रेखा की उत्तरी दिशा में मुड़कर यह केवोनझार-मयूरभंज अंतर-जिला सीमा रेखा के अन्य बिन्दु के साथ जी.पी.एस पाठ्यांक उ 21° 19' 14.4" पू 86° 21' 24.4" पहुँचती है । इसके बाद यह उत्तर पूर्व दिशा में जाती है और जी.पी.एस पाठ्यांक उ 21° 19' 49.9" पू 86° 24' 20.8" के साथ बिन्दु पर लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत मयूरभंज जिला में सम्मिलित वन क्षेत्रों में आड़े-तिरछे ढंग से मुड़ती है । इसके बाद सीमा रेखा मयूरभंज और बालासोरे जिला की अंतर-जिला सीमा रेखा से 2 किलोमीटर की बराबर दूरी में मयूरभंज जिला उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़ती है । इसके बाद पूर्व से अंतर-जिला सीमा रेखा को पार करते हुए जाती है और तंगाना नाला के निकट बालासोरे जिला पहुँचती है । इसके बाद पोड़ासुल की कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य सीमा रेखा से 2 किलोमीटर की एक जैसी बराबर दूरी बनाए रखने के लिए पूर्व दिशा में मुड़कर और नीलगिरि के निकट कप्पटीपाडा-नीलगिरि राज्य राजमार्ग संख्या 19 को पार करके और केसुरीपुर की दक्षिणी दिशा में जाती है । इसके बाद आड़े-तिरछे ढंग में अभयारण्य सीमा रेखा से 2 किलोमीटर की एक जैसी बराबर दूरी बनाए रखने के लिए पश्चिम दिशा में जाती है जी.पी.एस पाठ्यांक उ 21° 19' 12.4" पू 86° 24' 30.7" के साथ बिन्दु छुती है । इसके बाद यह आड़े-तिरछे ढंग में लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मुड़कर बालासोरे जिला में दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर जाती है और आरंभिक बिन्दु छुती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य बालासोरे जिला के कुलधिया और केवोनझार जिला के हदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बीच गलियारे जोड़ना शामिल है ।

उपाबंध- III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के कुलधिया वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—की गई कार्रवाई रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख A
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है A
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश A
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2016

S.O. 569(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:—esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Kuldiha Wildlife Sanctuary located in Balasore, Mayurbhanj and Keonjhar Districts in the State of Odisha is spread over an area of 272.75 square kilometres.

And Whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary.

As regards biodiversity of this sanctuary, it harbors 32 species of mammals, 134 species of birds, 40 species of reptiles, 5 species of amphibians, with many species of insects like Butterflies and Odonates and the flora of this protected area is represented by mixed deciduous forest;

And whereas, the mammals are represented by Asiatic Elephant (*Elephas maximus*), Gaur (*Bos gaurus*), Sloth Bear (*Melomys ursinus*), Wild pig (*Sus scrofa*), Chital (*Axis axis*), Sambar (*Rusa unicorn*), Hanuman langur (*Semnopithecus entellus*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Indian Porcupine (*Hystrix indica*), Indian giant squirrel (*Ratufa indica*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*) etc. The carnivores are represented by Leopard (*Panthera pardus*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Indian Wolf (*Canis lupus*), Jackal (*Canis aureus*), Bengal Fox (*Vulpes bengalensis*), Leopard cat (*Felis bengalensis*) etc;

And whereas, the sanctuary is falling in Balasore district and surrounded by forest and villages of Mayurbhanj district in the west, village boundary line adjoining to Tenda Reserve Forest and Bishnupur Protected Forest in the east, Nilgiri ex-state boundary line adjoining to Devagiri Protected Forest and Devagiri Reserve Forest in the south, Kaptipada-Udala-Jharanaghati-Sajanagarh-Nilgiri state highway in the north;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of the Kuldiha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 7.0 kilo metre around the boundary of Kuldiha Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Kuldiha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-Sensitive Zone shall be of 234.48 square kilometres with an extent upto 7.0 kilometre around the Kuldiha Wildlife Sanctuary.
 - (2) List of villages falling in the in Eco-sensitive Zone are given at Annexure-I.
 - (3) The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Kuldiha Wildlife Sanctuary are given at Annexure-II.
 - (4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.
2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
 - (2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
 - (3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;

- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Odisha State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and
- (x) Public Works Department .

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against the serial numbers 10, 21, 32, 36 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of [article 244](#) of the [constitution](#) or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the

State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Kuldiha Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to **eco-friendly** tourism activities;

Provided that beyond the distance of the one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be **identified** in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government or Odisha State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made **thereunder**.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government or Odisha State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made **thereunder**.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made **thereunder**.

(9) **Solid wastes.**— Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.**—(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.I. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.

		<p>However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.</p>
11.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3:</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.</p>
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution .	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.</p> <p>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	<p>Regulated under applicable laws.</p> <p>In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.</p>
23.	Public rights .	Regulated under applicable laws.
24.	Collection of small Fodder.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water harvesting .	Regulated under applicable laws.
27.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.

28.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
29.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Promoted activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprises the following namely :—

Monitoring Committee for the State of Odisha comprising of the following members, namely:-

- | | | |
|--------|--|--------------------|
| (i) | District Collector, Balasore | - Chairman |
| (ii) | An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Odisha for a period of one year in each case. | -Member |
| (iii) | One representatives of Non-governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year in each case. | -Member |
| (iv) | Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board | -Member |
| (v) | Divisional forest Officer cum WL Warden, Baripada | -Member |
| (vi) | Sub-Collector, Kaptipada (Udala) | -Member |
| (vii) | Supt. of Police, Balasore | -Member |
| (viii) | Supt. of Police, Udala | -Member |
| (ix) | Divisional Forest Officer-cum-WL Warden, Balsore | -Member-Secretary. |

6. Terms of Reference.—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4

thereof, shall be scrutinized by the **Monitoring Committee** based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned **regulatory authorities**.

- (5) The **Member-Secretary** of the Monitoring Committee or the concerned **District** Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from **industry associations** or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief wildlife warden of the State as per pro forma given in Annexure III.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this function.
8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F. No.25/189/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure-I

List of villages falling in Eco –sensitive Zone

Sl. No.	District	Tahasil	Name of Village	Type of Village	Latitude	Longitude
1	Mayurbhanj	Kaptipada	Adharpada	Revenue Village	21° 22' 29.864" N	86° 26' 37.724" E
2	Balasore	Oupada	Aghashul	Revenue Village	21° 20' 7.003" N	86° 33' 58.018" E
3	Balasore	Oupada	Aghirapada	Revenue Village	21° 20' 32.153" N	86° 32' 6.172" E
4	Balasore	Khaira	Aithasahi	Revenue Village	21° 19' 46.742" N	86° 31' 24.301" E
5	Mayurbhanj	Kaptipada	Ambadahi	Revenue Village	21° 20' 17.524" N	86° 24' 45.202" E
6	Balasore	Khaira	Ambagadia	Revenue Village	21° 19' 53.366" N	86° 34' 4.642" E
7	Balasore	Nilgiri	Ambajhar	Revenue Village	21° 28' 33.961" N	86° 41' 46.154" E
8	Mayurbhanj	Kaptipada	Andhari	Revenue Village	21° 24' 17.812" N	86° 30' 37.472" E
9	Balasore	Khaira	Asurkhunta	Revenue Village	21° 19' 47.391" N	86° 25' 43.909" E
10	Balasore	Oupada	Atasahi	Revenue Village	21° 21' 13.507" N	86° 29' 35.237" E
11	Balasore	Nilgiri	Babandha	Revenue Village	21° 27' 18.119" N	86° 43' 52.072" E
12	Balasore	Oupada	Badapokhari	Revenue Village	21° 20' 8.752" N	86° 34' 49.539" E
13	Balasore	Oupada	Badhi	Revenue Village	21° 20' 10.900" N	86° 35' 30.560" E
14	Balasore	Oupada	Baghampada	Revenue Village	21° 21' 39.832" N	86° 37' 18.879" E
15	Balasore	Oupada	Bahasahi	Revenue Village	21° 28' 29.295" N	86° 44' 46.363" E
16	Balasore	Nilgiri	Baligura	Revenue Village	21° 26' 9.183" N	86° 45' 40.167" E
17	Balasore	Oupada	Balimundali	Revenue Village	21° 21' 3.478" N	86° 35' 6.416" E
18	Balasore	Nilgiri	Bankisal	Revenue Village	21° 27' 58.642" N	86° 43' 33.628" E
19	Balasore	Oupada	Bansapal	Revenue Village	21° 21' 43.831" N	86° 37' 47.132" E
20	Balasore	Nilgiri	Banthiapada	Revenue Village	21° 28' 31.459" N	86° 42' 53.408" E
21	Balasore	Nilgiri	Banusabania	Revenue Village	21° 25' 37.621" N	86° 45' 26.529" E

22	Balasure	Oupada	Barabhagi	Revenue Village	21° 19' 49.209" N	86° 26' 51.189" E
23	Mayurbhanj	Kaptipada	Basanaga	Revenue Village	21° 23' 19.047" N	86° 28' 44.490" E
24	Balasure	Nilgiri	Batsahi	Revenue Village	21° 29' 31.115" N	86° 34' 54.956" E
25	Balasure	Nilgiri	Baulagadia	Revenue Village	21° 21' 20.065" N	86° 42' 13.091" E
26	Balasure	Nilgiri	Belapada	Revenue Village	21° 22' 24.695" N	86° 42' 37.977" E
27	Balasure	Khaira	Benagaria	Revenue Village	21° 19' 29.467" N	86° 27' 22.101" E
28	Balasure	Nilgiri	Betasul	Revenue Village	21° 27' 8.843" N	86° 44' 34.236" E
29	Balasure	Nilgiri	Bhalukasuni	Revenue Village	21° 29' 23.413" N	86° 42' 22.929" E
30	Balasure	Oupada	Bharadabhati	Revenue Village	21° 21' 29.386" N	86° 29' 2.016" E
31	Balasure	Nilgiri	Bhutasahimil	Revenue Village	21° 27' 50.936" N	86° 43' 10.379" E
32	Balasure	Khaira	Biriha	Revenue Village	21° 20' 22.200" N	86° 29' 46.109" E
33	Mayurbhanj	Kaptipada	Bramhanipal	Revenue Village	21° 23' 22.340" N	86° 29' 45.605" E
34	Balasure	Oupada	Budakhunta	Revenue Village	21° 20' 34.140" N	86° 35' 45.171" E
35	Balasure	Khaira	Chahapur	Revenue Village	21° 19' 55.704" N	86° 31' 38.134" E
36	Balasure	Khaira	Chahapur Sasan	Revenue Village	21° 20' 5.834" N	86° 30' 41.634" E
37	Balasure	Nilgiri	Chakamara	Revenue Village	21° 28' 46.353" N	86° 40' 13.392" E
38	Balasure	Nilgiri	Chandrapur	Revenue Village	21° 29' 34.150" N	86° 40' 52.183" E
39	Balasure	Oupada	Chatrishul	Revenue Village	21° 21' 36.907" N	86° 35' 2.655" E
40	Balasure	Nilgiri	Chintamanipur	Revenue Village	21° 21' 42.468" N	86° 42' 50.085" E
41	Balasure	Oupada	Chirandeipur	Revenue Village	21° 19' 55.444" N	86° 29' 2.371" E
42	Balasure	Nilgiri	Chota Kanhupur	Revenue Village	21° 26' 33.195" N	86° 45' 23.290" E
43	Balasure	Oupada	Dagarpara	Revenue Village	21° 19' 48.885" N	86° 33' 24.508" E
44	Balasure	Nilgiri	Daldali	Revenue Village	21° 23' 23.382" N	86° 42' 26.091" E
45	Balasure	Oupada	Daripokhari	Revenue Village	21° 20' 42.462" N	86° 35' 15.753" E
46	Balasure	Nilgiri	Darkholi	Revenue Village	21° 29' 50.545" N	86° 36' 16.648" E
47	Balasure	Oupada	Darkhuli	Revenue Village	21° 20' 51.294" N	86° 29' 40.557" E
48	Balasure	Nilgiri	Dasarathapur Sasan	Revenue Village	21° 24' 36.836" N	86° 44' 13.665" E
49	Balasure	Nilgiri	Dholpur	Revenue Village	21° 26' 2.728" N	86° 45' 6.180" E
50	Balasure	Soro	Digibhanra	Revenue Village	21° 21' 4.606" N	86° 37' 38.645" E
51	Balasure	Nilgiri	Dwarika	Revenue Village	21° 23' 17.542" N	86° 44' 5.677" E
52	Balasure	Nilgiri	Dwarikasuni	Revenue Village	21° 28' 46.503" N	86° 38' 48.060" E
53	Balasure	Oupada	Gadasahi	Revenue Village	21° 22' 0.034" N	86° 29' 28.550" E
54	Balasure	Oupada	Gajamaba	Revenue Village	21° 21' 1.360" N	86° 34' 33.866" E
55	Balasure	Oupada	Garudahata	Revenue Village	21° 20' 15.965" N	86° 33' 30.353" E
56	Balasure	Soro	Gobindpur	Revenue Village	21° 20' 44.799" N	86° 40' 53.190" E
57	Balasure	Nilgiri	Gohalia	Revenue Village	21° 25' 15.996" N	86° 45' 13.087" E
58	Balasure	Nilgiri	Gohira	Revenue Village	21° 29' 39.890" N	86° 38' 20.963" E
59	Balasure	Soro	Gopalpur	Revenue Village	21° 21' 50.650" N	86° 39' 45.196" E
60	Balasure	Soro	Gujadiha	Revenue Village	21° 22' 45.054" N	86° 39' 52.207" E
61	Balasure	Soro	Gulunia	Revenue Village	21° 20' 22.200" N	86° 35' 50.042" E
62	Mayurbhanj	Kaptipada	Haladipokhari	Revenue Village	21° 24' 36.772" N	86° 30' 51.889" E

63	Balasure	Oupada	Halapur	Revenue Village	21° 20' 31.094" N	86° 27' 25.280" E
64	Balasure	Oupada	Hariharpur	Revenue Village	21° 19' 54.664" N	86° 28' 4.443" E
65	Balasure	Nilgiri	Harikrushnapur	Revenue Village	21° 21' 14.608" N	86° 42' 59.242" E
66	Balasure	Nilgiri	Hatasahi	Revenue Village	21° 25' 5.086" N	86° 45' 34.322" E
67	Mayurbhanj	Kaptipada	Hatimanda	Revenue Village	21° 24' 32.820" N	86° 30' 3.113" E
68	Mayurbhanj	Kaptipada	Hinjuliduba	Revenue Village	21° 26' 49.285" N	86° 31' 45.981" E
69	Balasure	Nilgiri	Hsiasahi	Revenue Village	21° 24' 2.936" N	86° 44' 38.797" E
70	Balasure	Nilgiri	Iswarpur	Revenue Village	21° 21' 6.815" N	86° 42' 57.293" E
71	Balasure	Oupada	Jadgaria	Revenue Village	21° 20' 10.250" N	86° 29' 4.709" E
72	Balasure	Nilgiri	Jaganathpur	Revenue Village	21° 27' 23.054" N	86° 44' 40.648" E
73	Balasure	Oupada	Jalapank	Revenue Village	21° 20' 6.614" N	86° 29' 44.453" E
74	Balasure	Nilgiri	Jamaghati	Revenue Village	21° 28' 7.907" N	86° 43' 11.072" E
75	Balasure	Nilgiri	Jampada	Revenue Village	21° 21' 18.115" N	86° 41' 11.309" E
76	Balasure	Nilgiri	Jamudihi	Revenue Village	21° 28' 29.035" N	86° 44' 3.502" E
77	Balasure	Nilgiri	Jamuna	Revenue Village	21° 29' 4.998" N	86° 35' 17.311" E
78	Balasure	Oupada	Janhidpada	Revenue Village	21° 20' 1.159" N	86° 28' 38.992" E
79	Balasure	Oupada	Janikapal	Revenue Village	21° 20' 21.998" N	86° 31' 26.876" E
80	Balasure	Oupada	Jatapada	Revenue Village	21° 21' 37.325" N	86° 36' 58.195" E
81	Balasure	Oupada	Jayanarayanpur	Revenue Village	21° 19' 58.821" N	86° 35' 20.624" E
82	Balasure	Nilgiri	Jharanaghati	Revenue Village	21° 29' 30.697" N	86° 34' 15.676" E
83	Mayurbhanj	Kaptipada	Jhiliribani	Revenue Village	21° 27' 54.076" N	86° 33' 8.365" E
84	Balasure	Nilgiri	Jokagadia	Revenue Village	21° 22' 55.332" N	86° 43' 20.088" E
85	Balasure	Oupada	Jokagaria	Revenue Village	21° 20' 17.719" N	86° 34' 28.411" E
86	Balasure	Nilgiri	Jokananda	Revenue Village	21° 27' 34.224" N	86° 44' 49.740" E
87	Balasure	Nilgiri	Junia	Revenue Village	21° 25' 33.013" N	86° 44' 39.436" E
88	Balasure	Nilgiri	Juriapatna	Revenue Village	21° 23' 56.702" N	86° 44' 8.405" E
89	Balasure	Oupada	Kaashigaria	Revenue Village	21° 20' 51.423" N	86° 30' 9.293" E
90	Balasure	Nilgiri	Kadamsul	Revenue Village	21° 27' 27.470" N	86° 43' 9.730" E
91	Mayurbhanj	Kaptipada	Kaijhati	Revenue Village	21° 28' 57.782" N	86° 42' 40.593" E
92	Balasure	Oupada	Kaithagaria	Revenue Village	21° 18' 54.139" N	86° 25' 33.259" E
93	Mayurbhanj	Kaptipada	Kaladahi	Revenue Village	21° 29' 46.224" N	86° 33' 16.975" E
94	Balasure	Nilgiri	Kalakad	Revenue Village	21° 29' 33.803" N	86° 40' 21.358" E
95	Mayurbhanj	Kaptipada	Kalia buru	Revenue Village	21° 20' 52.592" N	86° 25' 54.040" E
96	Mayurbhanj	Kaptipada	Kaliachaturi	Revenue Village	21° 26' 12.672" N	86° 31' 30.750" E
97	Balasure	Nilgiri	Kaligari	Revenue Village	21° 22' 39.941" N	86° 43' 28.076" E
98	Balasure	Oupada	Kamarpal	Revenue Village	21° 20' 19.570" N	86° 33' 6.662" E
99	Balasure	Nilgiri	Kamediha	Revenue Village	21° 24' 6.097" N	86° 43' 25.892" E
100	Balasure	Nilgiri	Kandagaradi	Revenue Village	21° 23' 10.010" N	86° 42' 14.576" E
101	Balasure	Oupada	Kandipur	Revenue Village	21° 20' 35.643" N	86° 34' 48.672" E
102	Balasure	Nilgiri	Kanhupur	Revenue Village	21° 22' 9.938" N	86° 43' 6.840" E
103	Balasure	Nilgiri	Kanshipal	Revenue Village	21° 22' 47.724" N	86° 42' 32.034" E
104	Balasure	Nilgiri	Kantabania	Revenue Village	21° 23' 33.908" N	86° 44' 3.729" E

105	Mayurbhanj	Kaptipada	Kantamari	Revenue Village	21° 20' 36.747" N	86° 25' 54.560" E
106	Mayurbhanj	Kaptipada	Kantamati	Revenue Village	21° 20' 27.395" N	86° 25' 15.075" E
107	Balasure	Nilgiri	Kanthiatikar	Revenue Village	21° 24' 14.431" N	86° 44' 40.551" E
108	Balasure	Khaira	Kasapa	Revenue Village	21° 19' 28.428" N	86° 26' 58.202" E
109	Mayurbhanj	Kaptipada	Kendughati	Revenue Village	21° 27' 39.726" N	86° 32' 14.278" E
110	Balasure	Nilgiri	Keshugadia	Revenue Village	21° 21' 8.958" N	86° 41' 48.520" E
111	Balasure	Nilgiri	Keshuripur	Revenue Village	21° 20' 29.798" N	86° 41' 36.051" E
112	Balasure	Oupada	Ketakijhuri	Revenue Village	21° 19' 45.573" N	86° 27' 32.751" E
113	Mayurbhanj	Kaptipada	Khadikhania	Revenue Village	21° 27' 8.157" N	86° 32' 30.173" E
114	Balasure	Khaira	Khadipad	Revenue Village	21° 18' 55.178" N	86° 26' 32.226" E
115	Balasure	Soro	Khogabani	Revenue Village	21° 21' 50.066" N	86° 40' 13.251" E
116	Balasure	Oupada	Khunta	Revenue Village	21° 20' 25.310" N	86° 36' 41.025" E
117	Balasure	Oupada	Khuntadihatpatna	Revenue Village	21° 20' 21.680" N	86° 28' 49.902" E
118	Balasure	Soro	Khuntapatna	Revenue Village	21° 20' 45.579" N	86° 36' 52.971" E
119	Balasure	Oupada	Krushnadaspur	Revenue Village	21° 20' 34.928" N	86° 29' 29.127" E
120	Mayurbhanj	Kaptipada	Kuanrpur	Revenue Village	21° 29' 13.772" N	86° 32' 37.679" E
121	Balasure	Nilgiri	Kumbakuntia	Revenue Village	21° 24' 23.978" N	86° 45' 9.580" E
122	Balasure	Soro	Kumbi	Revenue Village	21° 21' 46.949" N	86° 39' 9.543" E
123	Balasure	Nilgiri	Kunchibania	Revenue Village	21° 29' 50.775" N	86° 40' 24.129" E
124	Balasure	Oupada	Kushadiha	Revenue Village	21° 21' 23.536" N	86° 30' 13.889" E
125	Balasure	Nilgiri	Kusumia	Revenue Village	21° 28' 19.683" N	86° 43' 20.077" E
126	Balasure	Oupada	Kusundaspur	Revenue Village	21° 20' 14.017" N	86° 30' 31.114" E
127	Balasure	Nilgiri	Madhuban	Revenue Village	21° 26' 54.529" N	86° 45' 33.227" E
128	Balasure	Nilgiri	Mahulbani	Revenue Village	21° 29' 18.997" N	86° 37' 1.151" E
129	Balasure	Khaira	Mahulgaria	Revenue Village	21° 19' 53.755" N	86° 32' 1.902" E
130	Balasure	Oupada	Maisadali	Revenue Village	21° 20' 20.229" N	86° 26' 34.928" E
131	Balasure	Oupada	Majhisahi	Revenue Village	21° 21' 5.985" N	86° 30' 8.039" E
132	Balasure	Nilgiri	Managarh	Revenue Village	21° 24' 58.469" N	86° 44' 38.694" E
133	Mayurbhanj	Kaptipada	Mankadapada	Revenue Village	21° 25' 38.747" N	86° 30' 23.233" E
134	Balasure	Oupada	Mantachua	Revenue Village	21° 21' 1.180" N	86° 31' 8.003" E
135	Balasure	Oupada	Marapatna	Revenue Village	21° 19' 56.093" N	86° 34' 23.345" E
136	Mayurbhanj	Kaptipada	Mayurahuda	Revenue Village	21° 24' 58.710" N	86° 31' 10.379" E
137	Balasure	Nilgiri	Mirigini	Revenue Village	21° 26' 46.186" N	86° 45' 13.237" E
138	Balasure	Nilgiri	Moshasuria	Revenue Village	21° 20' 50.839" N	86° 42' 13.263" E
139	Balasure	Nilgiri	Mukundapur	Revenue Village	21° 21' 42.351" N	86° 42' 8.262" E
140	Mayurbhanj	Kaptipada	Natapara	Revenue Village	21° 25' 34.594" N	86° 31' 23.072" E
141	Balasure	Nilgiri	Nijgarh	Revenue Village	21° 27' 17.660" N	86° 44' 14.965" E
142	Balasure	Khaira	Nuagaon	Revenue Village	21° 20' 4.860" N	86° 34' 14.968" E
143	Balasure	Nilgiri	Nuagaon	Revenue Village	21° 30' 36.494" N	86° 35' 40.810" E
144	Balasure	Soro	Nuasahi	Revenue Village	21° 22' 6.821" N	86° 38' 27.266" E
145	Balasure	Nilgiri	Nuashi	Revenue Village	21° 28' 51.894" N	86° 43' 10.033" E
146	Mayurbhanj	Kaptipada	Padmapokhari	Revenue Village	21° 23' 42.084" N	86° 29' 8.937" E


147	Balasore	Oupada	Paikapada	Revenue Village	21° 19' 45.337" N	86° 26' 6.931" E
148	Balasore	Nilgiri	Panchalingeswar	Revenue Village	21° 24' 34.896" N	86° 43' 20.787" E
149	Balasore	Oupada	Pandua	Revenue Village	21° 20' 35.685" N	86° 31' 27.097" E
150	Balasore	Nilgiri	Parasul	Revenue Village	21° 27' 54.746" N	86° 45' 8.703" E
151	Balasore	Nilgiri	Patanapada	Revenue Village	21° 23' 6.048" N	86° 43' 11.516" E
152	Balasore	Nilgiri	Patasahi	Revenue Village	21° 29' 29.443" N	86° 35' 49.278" E
153	Balasore	Oupada	Patharpada	Revenue Village	21° 21' 22.401" N	86° 30' 35.400" E
154	Balasore	Khaira	Patna	Revenue Village	21° 19' 24.012" N	86° 25' 23.647" E
155	Balasore	Soro	Phataamba	Revenue Village	21° 22' 12.217" N	86° 37' 52.726" E
156	Balasore	Oupada	Potrokhunta	Revenue Village	21° 18' 44.008" N	86° 25' 17.933" E
157	Balasore	Khaira	Pramanandpur	Revenue Village	21° 19' 33.104" N	86° 28' 7.041" E
158	Balasore	Oupada	Pratappur	Revenue Village	21° 20' 34.474" N	86° 30' 46.310" E
159	Balasore	Nilgiri	Puniduria	Revenue Village	21° 28' 25.225" N	86° 39' 57.806" E
160	Balasore	Oupada	Purusottampur	Revenue Village	21° 19' 47.716" N	86° 32' 51.777" E
161	Balasore	Oupada	Radhaballabhpur	Revenue Village	21° 19' 55.119" N	86° 36' 15.564" E
162	Balasore	Nilgiri	Raipal	Revenue Village	21° 30' 21.254" N	86° 38' 26.714" E
163	Balasore	Nilgiri	Raipur	Revenue Village	21° 26' 22.821" N	86° 45' 38.633" E
164	Balasore	Khaira	Rairamchandrapur	Revenue Village	21° 19' 43.494" N	86° 28' 27.043" E
165	Balasore	Oupada	Rangamatia	Revenue Village	21° 20' 52.614" N	86° 28' 54.704" E
166	Balasore	Soro	Rangamatia	Revenue Village	21° 22' 34.352" N	86° 40' 14.231" E
167	Balasore	Khaira	Ranigaria	Revenue Village	21° 20' 3.497" N	86° 32' 43.595" E
168	Balasore	Soro	Ranpur	Revenue Village	21° 20' 3.886" N	86° 35' 47.315" E
169	Balasore	Khaira	Rodanpur	Revenue Village	21° 19' 34.078" N	86° 34' 13.604" E
170	Balasore	Nilgiri	Sabjapur	Revenue Village	21° 23' 3.904" N	86° 42' 55.735" E
171	Balasore	Nilgiri	Sana Patpur	Revenue Village	21° 25' 20.477" N	86° 45' 32.374" E
172	Balasore	Nilgiri	Santagadia	Revenue Village	21° 22' 44.812" N	86° 43' 23.010" E
173	Balasore	Soro	Saralia	Revenue Village	21° 22' 28.276" N	86° 39' 0.328" E
174	Balasore	Nilgiri	Saruchampa	Revenue Village	21° 29' 38.427" N	86° 37' 22.880" E
175	Balasore	Khaira	Sason	Revenue Village	21° 19' 31.545" N	86° 25' 55.858" E
176	Balasore	Nilgiri	Shialomalsahi	Revenue Village	21° 29' 2.631" N	86° 40' 25.168" E
177	Balasore	Nilgiri	Shymsundarpur	Revenue Village	21° 23' 28.258" N	86° 44' 13.665" E
178	Balasore	Nilgiri	Siadimal	Revenue Village	21° 27' 47.472" N	86° 44' 9.216" E
179	Balasore	Nilgiri	Siadimala	Revenue Village	21° 27' 2.587" N	86° 43' 8.859" E
180	Balasore	Nilgiri	Sikidia	Revenue Village	21° 21' 58.323" N	86° 42' 22.377" E
181	Balasore	Soro	Simulikhola	Revenue Village	21° 23' 40.178" N	86° 39' 19.224" E
182	Balasore	Oupada	Simulipall	Revenue Village	21° 20' 51.423" N	86° 34' 58.024" E
183	Balasore	Soro	Sindhua	Revenue Village	21° 23' 12.429" N	86° 39' 27.702" E
184	Balasore	Soro	Singakhanta	Revenue Village	21° 22' 35.265" N	86° 39' 17.921" E
185	Balasore	Oupda	Singarpur	Revenue Village	21° 20' 13.627" N	86° 32' 1.707" E
186	Balasore	Nilgiri	Sirsa	Revenue Village	21° 29' 25.265" N	86° 35' 20.028" E
187	Balasore	Oupda	Sorisapal	Revenue Village	21° 20' 14.492" N	86° 28' 25.849" E

188	Balasore	Khaira	Sujagarla	Revenue Village	21° 18' 58.035" N	86° 25' 55.079" E
189	Balasore	Nilgiri	Talagarla	Revenue Village	21° 29' 43.024" N	86° 36' 25.841" E
190	Mayurbhanj	Kaptipada	Tangiria	Revenue Village	21° 28' 46.839" N	86° 32' 59.314" E
191	Balasore	Nilgiri	Tartari	Revenue Village	21° 29' 54.097" N	86° 36' 51.122" E
192	Balasore	Nilgiri	Telipal	Revenue Village	21° 29' 32.368" N	86° 39' 14.450" E
193	Balasore	Nilgiri	Tenda	Revenue Village	21° 27' 25.004" N	86° 42' 28.995" E
194	Balasore	Nilgiri	Tiakata	Revenue Village	21° 28' 17.779" N	86° 40' 32.591" E
195	Mayurbhanj	Kaptipada	Tulagarla	Revenue Village	21° 21' 13.374" N	86° 25' 16.634" E
196	Balasore	Khaira	Ugalpur	Revenue Village	21° 19' 15.440" N	86° 26' 52.228" E
197	Balasore	Soro	Upargar	Revenue Village	21° 22' 5.322" N	86° 37' 32.877" E
198	Balasore	Khaira	Sarisua Kapilajhari Badhanata	Revenue Village	21° 19' 15.816" N	86° 22' 12.756" E
199	Balasore	Khaira	Gagua	Revenue Village	21° 18' 26.388" N	86° 23' 32.5352"E
200	Balasore	Khaira	Kadaligadia	Revenue Village	21° 19' 1.236" N	86° 24' 9.72" E
201	Balasore	Khaira	Kuturipal	Revenue Village	21° 18' 7.128" N	86° 22' 58.908" E
202	Balasore	Khaira	Budeisul	Revenue Village	21° 18' 16.236" N	86° 23' 17.448" E
203	Mayurbhanj	Kaptipada	Kathachua	Revenue Village	21° 19' 37.236" N	86° 25' 1.524" E
204	Mayurbhanj	Kaptipada	Dugdha	Revenue Village	21° 19' 7.392" N	86° 21' 22.032" E
205	Balasore	Khaira	Rugudi	Revenue Village	21° 18' 57.132" N	86° 21' 12.132" E

ANNEXURE-II**Geo-coordinates at Four Corners along Boundary of Eco-sensitive Zone.**

The boundary line of Eco-sensitive Zone starts from a point with G.P.S. reading N 21° 17' 59.6" E 86° 21' 38.4" on the Keonjhar – Balasore inter district boundary line and moves in northern direction on the boundary line of Keonjhar district till it reaches another point on Keonjhar – Mayurbhanj inter district boundary line with G.P.S. reading N 21° 19' 14.4" E 86° 21' 24.4". Then it turns in North.—East direction and moves in a zigzag manner including forested areas in Mayurbhanj district within the Eco-sensitive Zone over a distance of about 5.5 kilometre up to a point with GPS reading N 21° 19' 49.9" E 86° 24' 20.8". Then the boundary line moves in North.—East direction in Mayurbhanj district at a parallel distance of 2 kilometre from the inter district boundary line of Mayurbhanj and Balasore district. Then turns east to cross inter district boundary line and enters Balasore district near Tangana Nala. Then moves in east direction maintaining the same parallel distance of 2 kilometre from the Kuldiha Wildlife Sanctuary boundary line up to Podasul and crosses Kaptipada – Nilgiri Satate High way No. 19 near Nilgiri, and runs in Southern direction up to Keshuripur. Then runs in west direction maintaining the same parallel distance of 2 kilometre from the Sanctuary boundary line in a zig-zag manner touching the point with G.P.S. reading N 21° 19' 12.4" E 86° 24' 30.7". Then it turns towards South – West direction in Balasore district moves over a distance of about 7 kilometre in a zigzag manner and touches the starting point. The Eco-sensitive Zone of Kuldiha Wildlife Sanctuary includes corridor linking between Kuldiha of Balasore district and Hadgarh Wildlife Sanctuary of Keonjhar district,

ANNEXURE-III**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KULDIHA WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES**



ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report:—Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
[Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.
